समक्ष में सुनवाई
दिनांक 22.06.2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल/2015/1393 भोपाल, दिनांक 18/6/15

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–शहडोल/आगर/बालाघाट/अनुपपूर/बड़वानी/अशोकनगर/हरदा/पन्ना/डिण्डौरी/बुरहानपुर/जबलपुर/रीवा/सीहोर/शिवपुरी/खण्डवा/सिविनी/नीमच/सिंगरौली/इन्दौर/सतना/ग्वालियर/सिंगरौली/अशोकनगर/उमरिया/शिवपुरी/सागर/देवास/मुरैना एवं क्षय चिकित्सालय,भोपाल,मध्यप्रदेश।

विषयः– **दिनांक 01 जून 2015 से दिनांक 09 जून 2015 तक की अवधि में होने वाले प्रशिक्षण में आपके अधीन पदस्थ चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स के अनुपस्थित रहने पर उन्हें दिनांक 22.06.2015 को स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के समक्ष 11.00 बजे उपस्थित होने संबंधी निर्देश जारी करें।**

00–00

उपरोक्त विषयान्तर्गत असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ,स्किल अपग्रेडेशन विषय पर दिनांक 01 जून 2015 से 09 जून 2015 तक की अवधि में ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस साकेत नगर, भोपाल में संचालक,प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आपके अधीन पदस्थ चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स को उक्त दिनांक में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया था **(प्रतिलिपि संलग्न) किंतु आपके अधीन पदस्थ चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स** जो दिनांक 01 जून 2015 से जून 2015 तक की अवधि में प्रशिक्षण/कार्यशाला में अनुपस्थित रहे।

संचालक, प्रशिक्षण शाखा से उक्त दिनांक को अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स की प्राप्त सूची आपकी ओर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप सूची में अंकित अनुपस्थित संबंधित चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स को **तत्काल आज ही यह अवगत कराना सुनिश्चित करें कि वे दिनांक 22.06.2015 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुडा भवन भोपाल में स्वास्थ्य आयुक्त, महोदय के कार्यालयीन कक्ष में प्रातः11:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें अन्यथा** प्रकरण में हुये आपकी ओर से हुये विलंब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

यदि संबंधित चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स उक्त दिनांक को भी अनुपस्थित पाये जाते है तो यह मानकर कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही **(दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुये साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुये व्यय की भी वसूली)** संबंधितों से करते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारी
स्टाफ नर्स की सूची

स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल/2015/ **भोपाल, दिनांक**

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. **निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों (दिनांक 22.06.2015) के संदर्भ में प्रेषित।**
02. **संचालक,प्रशिक्षण शाखा,स्थानीय कार्यालय की ओर उनकी टीप दिनांक 8.6.2015 के संदर्भ में प्रेषित।**
03. **संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा/उज्जैन/इन्दौर/सागर/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।**
04. **पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार संबंधित जिलों के अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स की ओर द्वाराः–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
05. **प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभाग की वेब साईट पर अपलोड करावें ।**

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्किल अपग्रेडेशन विषय पर प्रशिक्षण / कार्यशाला हेतु नामांकित चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टॉफ नर्स की सूची –

स्थान – आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईंस, साकेत नगर, भोपाल, म.प्र.।

दिनांक – 01 जुन से 09 जुन 2015

सं.क्र.	नाम	पदस्थापना	मोबाईल न.		
1	डॉ. अब्दुल वसीम	जिला चिकि. शहडोल	9826193406	A	अनुपस्थित
2	श्रीमती गीता महन्त	जिला चिकि. शहडोल	9826193406	A	अनुपस्थित
3	डॉ. रूपेश गुप्ता	जिला चिकि. शहडोल	9826193406	A	अनुपस्थित
4	श्रीमती वीणा चौहान	जिला चिकि. आगर	9425034905	R	
5	डॉ. अनुपम तिगदाम	जिला चिकि. बालाघाट	9425448266	A	अनुपस्थित
6	श्रीमती मेरलिन थामस	जिला चिकि. अनुपपूर	9425345818	A	अनुपस्थित
7	डॉ. अंकित अलावा	जिला चिकि. बड़वानी	9425101191	R	
8	श्रीमती असमा कुरैशी	जिला चिकि. अशोकनगर	9425762324	A	अनुपस्थित
9	डॉ. पटेल	जिला चिकि. हरदा	9425044114	A	अनुपस्थित
10	शीमा थामस	क्षय चिकि. भोपाल	9425701276	A	अनुपस्थित
11	डॉ. सुधाकर पांडे	जिला चिकि. पन्ना	9425166600	A	अनुपस्थित
12	श्रीमती रजनी साहू	बजाग डिण्डोरी	9425325457	A	अनुपस्थित
13	डॉ. दर्पण ढोके	जिला चिकि. बुरहानपुर	9977845866	A	अनुपस्थित
14	मोनालिसा सराठे	जिला चिकि. जबलपुर	9424307405	A	अनुपस्थित
15	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	जिला चिकि. रीवा	9302810483	A	अनुपस्थित
16	कु. नीतू यादव	सामु.स्वा.केन्द्र श्यामपुर जिला सिहोर	9425682144	P	
17	डॉ. अरविंद मिश्रा	जिला चिकि. रीवा	9302810483	P	
18	कु. मनीषा बुनकर	जिला चिकि. शिवपुरी	9425489265	P	
19	डॉ. परेश अहमद शेख	जिला चिकि. खण्डवा	9425495405	R	
20	कु. हनेश्वरी बडगौया	जिला चिकि. सिवनी	9425174767	A	अनुपस्थित
21	डॉ. दिनेश पाटीदार	सिविल अस्पताल जावद जिला नीमच	9425031924	P	
22	रितु सिंह	जिला चिकि. सिंगरौली	9425835802	A	अनुपस्थित
23	डॉ. डी. हरितवाल	सिविल अस्पताल महू जिला इंदौर	9425313371	A	अनुपस्थित
24	श्रीमती जया सोनी	सामु.स्वा.केन्द्र नागोद जिला सतना	9893856370	P	
25	डॉ. संध्या वांगर	जिला चिकि. ग्वालियर	9826237764 (सीएस)	A	अनुपस्थित
26	श्रीमती हीना बेगम	सामु.स्वा.केन्द्र निवारी जिला सिंगरौली	9993742223	A	अनुपस्थित
27	डॉ. अजय कुमार गेहलोत	जिला चिकि. अशोकनगर	9425762324	A	अनुपस्थित
28	कु. संजीता तिर्की	जिला चिकि. उमारिया	9424333120	A	अनुपस्थित
29	डॉ. रमा टिकारिया	जिला चिकि. शिवपुरी	9425489265	R	
30	श्रीमती चंद्रकला द्विवेदी	जिला चिकि. उमारिया	9424333120	A	अनुपस्थित
31	डॉ. प्रवीण ठकुराई	जिला चिकि. सिंगरौली	9425835802 (सीएस)	A	अनुपस्थित
32	डॉ. सुनील स्थापक	जिला चिकि. शहडोल	9826193406 (सीएस)	A	अनुपस्थित
33	डॉ. रामप्रताप सिंह चोहान	जिला चिकि. सागर	9425637780 (सीएस)	P	
34	डॉ. सौरभ पुरोहित	जिला चिकि. देवास	9302355524 (सीएस)	A	अनुपस्थित
35	डॉ. विरेन्द्र अहिरवार	जिला चिकि. मुरैना	9425334297 (सीएस)	A	अनुपस्थित

(डॉ. बी.एस. ओहरी)
संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./2015/ भोपाल,दिनांक /05/15

आदेश

विभागीय चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स को असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्किल अपग्रेडेशन विषय पर **दिनांक 01.06.15 से 09.06.15 तक की अवधि में आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईस, साकेत नगर, भोपाल** में एक प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया जाना जाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार 20 विभागीय चिकित्सा अधिकारियों एवं 15 विभागीय स्टाफ नर्स (प्रशिक्षणार्थियों) का नामांकन किया जाता है।

सूची में दर्शाये समस्त नामांकित चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स **दिनांक 01.06.15 को प्रातः 9:00** बजे **अनिवार्य रूप से** अपनी उपस्थिति डॉ. रजनीश जोशी, मेडिसीन विभाग, आल इंडिया इंस्टीटयुट आफ मेडिकल साईस, साकेत नगर, भोपाल को प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों के इस प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी –

- प्रशिक्षणार्थियों के भोजन/ठहरने की व्यवस्था आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईस, भोपाल द्वारा की जावेगी।
- प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्ता शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से भुगतान किया जावेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही संबंधित चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स को वापस ड्यूटी पर उपस्थित कराया जावेगा।
- किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि नामांकित चिकित्सक अथवा स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जाना संभव न हो तो उसके स्थान पर जिलें में कार्यरत अन्य नियमित चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स को नामांकित कर उसकी सूचना अधोहस्ताकर्ता को भेजी जावें।
- इस प्रशिक्षण हेतु आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईस, भोपाल को निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क राशि का भुगतान नियमानुसार इस विभाग द्वारा देय होगा।

संलग्न –सूची।

(डॉ बी.एस. ओहरी)
संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

पृ. क्र./प्रशि./2015/234 भोपाल,दिनांक 02/05/15

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित/प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.आर.एच.एम. बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. अपर संचालक, (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईस, साकेत नगर, भोपाल, म.प्र.।
6. डॉ. रजनीश जोशी, मेडिसीन विभाग, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईस, साकेत नगर, भोपाल (मो.–9425303401ईमेल–abhijit.cfm@aiimsbhopal.edu.in) की ओर इस आशय से प्रेषित कि गत प्रशिक्षणों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र संचालक, वित्त, एनएचएम कार्यालय, तृतीय तल, बैंक आफ इंडिया भवन, अरेरा हिल्स को प्रेषित करते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी भेजने का कष्ट करें, ताकि आगामी प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके ।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शहडोल, आगर, बालाघाट, अनुपपूर, बडवानी, अशोकनगर, हरदा, भोपाल, पन्ना, डिण्डोरी, बुरहानपूर, जवलपुर, रीवा, सिहोर, शिवपुरी, खण्डवा, सिवनी, नीमच, सिंगरौली, इंदौर, सतना, ग्वालियर, उमारिया, सागर, देवास एवं मुरैना, म.प्र. की ओर भेज कर लेख है कि आप कृपया आदेश के साथ संलग्न सूची अनुसार आपके अधीन कार्यरत नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को तत्काल प्रभाव से नियत दिनांक एवं समय पर कार्य मुक्त करें।
9. समस्त संबंधित चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स (संलग्न सूची अनुसार) की ओर पालनार्थ ।
10. प्रभारी — MIS Cell, DHS, M.P.

संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2015/ 424 भोपाल, दिनांक 13/3 /2015

प्रति,

डॉ. फणीन्द्र शर्मा,
(निलंबित)
प्रभारी उप संचालक।

द्वारा:– संभागीय संयुक्त संचालक, वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल।

विषय:– विभागीय जॉच प्रकरण में स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के समक्ष में उपस्थित होने के संबंध में।

***

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त महोदय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनॉक 16.03.2015 को समक्ष में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

अतः आप निर्धारित तिथि दिनॉक 16.03.2015 को स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

प्रशासकीय अधिकारी (कार्या. स्था.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य 0प्रदेश

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2015/ भोपाल, दिनांक / /2015

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर भेजकर लेख हैं कि डॉ. शर्मा को निर्धारित तिथि दिनॉक 16.03.2015 को स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय ।
3. निज सहायक, अपर संचालक,(प्रशासन)स्थानीय कार्यालय।

प्रशासकीय अधिकारी (कार्या. स्था.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश